

12109125 का पत्र हा। रम

पत्रा० पत्रा हुई। पार्थी वकील उप०। पार्थी वकील की
बहस सुनी गई। पार्थी वकील के कथन रहे कि
राजस्व रिकॉर्ड में पार्थी का नाम पार्थीगण के
पूर्वज के चले आ रहे गलत नाम उमराव पुत्र
श्वासे का कनमजन किया जाकर श्वासे पुत्र उमराव
शुद्ध किया जाना आवश्यक है। हमने बहस पर
मनन किया, गया एवं तहसीलदार नद्वरि द्वारा
प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार
नद्वरि द्वारा भी उमराव पुत्र श्वासे नाम का
कोई भी व्यक्ति नहीं होना बताया एवं
राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज उमराव पुत्र श्वासे के
स्थान पर श्वासे पुत्र उमराव शुद्ध किये



रम